



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP01147669400896V

REGMA DEVT. LICENSE-75  
ACC. CODE-UP 14430104  
Dist. Court Prayagraj  
Mob. 93113509173  
7338325818

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP01147669400896V  
 Certificate Issued Date : 29-Aug-2023 05:14 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14430104/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1443010497867828965737V  
 Purchased by : ADHAYKSHA SANCHETANA SAMITI  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ADHAYKSHA SANCHETANA SAMITI  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : ADHAYKSHA SANCHETANA SAMITI  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
 (One Hundred only)



D.M. Sharma



(प्रारूप - "अ")

शपथ पत्र

हम रंजना सिंह एवं विजय बहादुर सिंह सिंगरौर क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव संघेतना समिति 9C/1 लिडिल रोड जार्जटाउन, प्रयागराज शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसायटी द्वारा बाबू हरी राम सिंह महाविद्यालय ऑफ फार्मेसी मंदरी, प्रयागराज नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-024 से किया जाना प्रस्तावित है ।

Security Alert:

1. To verify the validity of Stamp certificate, it should be verified at [www.e-stamp.com](http://www.e-stamp.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock markets.
2. Any discrepancy in the details on the Certificate (e-stamp) is available on the website / Mobile App holder's stamp.
3. The user, at their own responsibility, is on the laws of the certificate.
4. In case of any discrepancy, please inform the competent Authority.

2. यह कि हमारी सोसायटी के नाम ग्राम मंदरी, तहसील सदर, जिला प्रयागराज में गाटा संख्या 336,337,350,351, एवं 353 रकबा क्रमशः 0.2605, 0.5210, 0.7990, 0.1780 एवं 0.3713 हेक्टेयर कुल रकबा 2.1298 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या-336,337, 350,351, एवं 353 रकबा क्रमशः 0.2605, 0.5210, 0.7990, 0.1780, हेक्टेयर कुल रकबा 2.1298 हेक्टेयर में से 8100 वर्गमीटर पर उपरोक्त नाम कि डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान कि स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी कि बैठक दिनांक 14/05/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में/पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थ अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



ह० सचिव

मंत्रा

संघटना समिति

9C/1 लिडिल रोड जार्जटाउन  
प्रयागराज

ह० अध्यक्ष

ksiy

अध्यक्ष

संघटना समिति  
9C/1 लिडिल रोड जार्जटाउन  
प्रयागराज